uxj iapk;r pqokMh] ftyk pEck] ¼fgekpy izns'k½ ds ys[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vof/k 04@2011 ls 03@2012

Hkkx&,d

1 ¼d½ ikjfEHkd %&

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत चुवाड़ी, जिला चम्बा 1`लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत में प्रधान/सचिव के कार्यकाल का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

eukfur iz/kku

Øe la0	uke	vof/k
1	श्रीमति सन्तोष कुमारी	01.04.2011 से 31.03.2012

Ukxj iapk;r lfpo

Øe la0	uke	rSukrh dh vof/k
1	श्रीमति राखी कौषल (अति0 कार्यभार) ई0ओ0 डलहौजी	01.04.2011 से 24.5.2011
2	श्री ललित कुमार (अति0 कार्यभार) ई0ओ0 नूरपुर	25.05.2011 से 22.06.2011
3	श्री गौरव महाजन (अति0 कार्यभार) तहसीलदार भटियात	23.06.2011 से 14.07.2011

4 श्रीमति राखी कौषल (अति0 कार्यभार) ईओ0 डलहौजी — 15.07.2011 से 17.08.2011

5 श्री ललित कुमार (अति0 कार्यभार) ई0ओ0 नूरपुर — 18.08.2011 से 31.03.2012 तक

¼[k½ xEHkhj vfu;ferrkvk dk lkj%&

uxj i pk;r pokMh d y[kkvk vof/k 04@2011 l 03@2012 rd d vd{k.k d nkjku ikb xb vfu;ferrkvk dk lkj fuEu idkj l g%&

Øe l[;k	xEHkhj vfu;ferrkvk dk lf{kIr lkj	ijk l[;k	jkf'k yk[kk e
1	गृहकर की बकाया राषि न करना	7 (2)	3.37
2	दुकानों के किराये की बकाया राषि की वसूली न करना	7 (5)	4.34
3	हि0प्र0 बिजली बोर्ड से नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 66 (i)(viii) के अनुसार कई वर्षों से निर्धारित राषि प्राप्त न करना	8 (9)	—
4	मोबाईल कम्पनियों से राषि वसूली योग्य षेष	8 (10)	0.45
5	नगर पंचायत की आय के रूप में राषि न दर्षाने बारे	10	0.52

¼x ½ xr vd{k.k ifronu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के परिषिष्ट "झ" पर दर्षाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के षेष पैरों पर पांचयत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्रवाई सुनिष्चित करें व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k %&

नगर पंचायत चुवाड़ी, जिला चम्बा के अवधि 04/2011 से 03/2012 तक के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री भुवनीष पुरी, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 17.09.2012 से 28.9.2012 तक के दौरान नगर पंचायत के कार्यालय में सम्पन्न किया गया। जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार महीनों का चयन किया गया।

Ø0 l0	foÙkh; o"kZ	p;fur ekg ¼vk;½	p;fur ekg ¼O;;½
1	2011–12	06/2011	01/2012

यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव, नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण पाई जाने वाली अनियमितता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित माहों तक ही सीमित है।

3 vads{k.k 'kqYd %&

नगर पंचायत के लेखाओं का अंकेक्षण षुल्क ₹8600/– आंका गया, सचिव नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्या एल0ए0डी0/चम्बा/2012/54 दिनांक 28.09.2012 द्वारा उक्त राषि का भुगतान निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष , षिमला–9 को बैंक ड्राफ्ट द्वारा करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना करते हुए सचिव, नगर पंचायत चुवाड़ी द्वारा अंकेक्षण षुल्क की राषि ₹8600/–का बैंक ड्राफ्ट संख्या 242655 दिनांक 4.10.12 षाखा भारतीय स्टेट बैंक चुवाडी, बनाकर निदेषक, स्थानीय लेखा विभाग, षिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 foÙkh; fLFkfr %&

सचिव नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाए गये अभिलेखागार अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखाओं के रख–रखाव हेतु तीन रोकड़ वहियां प्रयोग में लाई गई थीः–

(क) General Cash Book

(ख) RGURF Cash Book

(ग) Tourism Cash Book

उपरोक्त तीनों रोकड़ वहियों की वित्तीय स्थिति एवं बैंक समाधान विवरणिका का ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिषिष्ट "क" पर दिया गया है।

5 fuos'k%&

उपलब्ध करवाये गये अभिलेखागार दिनांक 31.3.2012 को निवेष की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

Ø0 l0	,Q0Mh0 vkj0 l0	fnukad	fuosf'kr jkf'k	cSad dk uke	nj	vof/k	ifjiDork fnukad
1	726574	23.9.11	2600000	हि0प्र0 स्टेट को0 बैंक चुवाड़ी	9.5 %	1 वर्ष	23.9.2012

6 vuqnku%&

अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत को विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुदान राषियों का विवरण परिषिष्ट–"ख" में दिया गया है। परिषिष्ट के अवलोकन पर स्पष्ट है कि कई अनुदानों की राषि अभी भी लम्बित पड़ी है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि खर्च न की गई अनुदान राषियों को खर्च करने से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाये ताकि अनुदान राषि के दुरूपयोग की सम्भावना से बचा जा सके तथा अनुदानों को स्वीकृति की षतों के अनुसार व्यय करके इनके उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित को प्रेषित किये जाये एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवायें।

7 vk;%&

¼1½ viu L=krk l izkIr vk; d ckj%&

उपलब्ध करवाए गए अभिलेखागार नगर पंचायत द्वारा अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

o"k	vk; tk izkIr dh xbZ	xr o"k dh vk; ¼2010&11½	fVIi.kh
2011–12	678574	775896	12.54% की कमी

उपरोक्त तालिका के अवलोकन पर यह पाया गया कि इस वर्ष की आय में गत वर्ष की आय की तुलना में 12.54% की कमी दर्ज की गई यह सन्तोषजनक नहीं है। अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय को बढ़ौतरी के लिए भरस्क प्रयास किए जाएं ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो।

¼2½ xg dj dh cdk;k ₹337653@&dh 'kh/k olwyh ckj%&

नगर पंचायत की आय का मुख्य साधन गृहकर है जिससे प्राप्त आय को वहां की जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है लेकिन दिनांक 31.3.2012 तक ₹337653/–गृहकरदाताओं से वसूली जानी षेष थी। जिसका विस्तृत ब्यौरा परिषिष्ट "ग" में दिया गया है। उक्त बकाया राषि को वसूल करने बारे भरस्क प्रयत्न किए जाएं।

¼3½ xgdj dh olwyh grq fu;ekuqlkj dk;Zokgh u dju ckj%&

अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा गृह कर की वसूली हेतु नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 86 के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई जिसके फलस्वरूप बहुत कम राषि की वसूली की जा सकी। यदि नियमानुसार कार्यवाही की जाती तो इतनी अधिक राषि वसूली हेतु लम्बित न रहती। अतः नियमानुसार बकाया राषि समयबद्ध वसूल करना सुनिष्चित करें।

¼4½ o"k 2009 d i'pkr uofufeZr Hkouk ij xgdj dh olwyh u dju ckj%&

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान कुल 63 नक्षे पास किये गये थे लकिन इन मकानों पर अभी तक गृहकर का निर्धारण नहीं किया गया जिससे नगर पंचायत को प्रतिवर्ष आय प्राप्ति की हानि हो रही है। अतः नव–निर्मित मकानों की निर्धारित वार्षिक मूल्य पर प्रचलित दर से गृहकर लगाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼5½ fdjk, d :i e fnukd 31-3-2012 rd ₹434735@&dh olfy;k u dju ckj&

नगर पंचायत द्वारा अपनी आय के साधनों की वृद्धि के लिए अपने क्षेत्र में लगभग 53 दुकानों का निर्माण किया गया है, इन दुकानों के किराए की मांग व वसूली रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2012 तक कुल ₹434735/–दुकानो के किराए के रूप में बकाया है लेकिन इसकी वसूली के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई जिसका विस्तार से ब्यौरा परिषिष्ट "घ" में दिया गया है। निदेषक, षहरी विकास के पत्र संख्या यू0एल0बी0'एच0ए0(7)–1/87–9237, 9284 दिनांक 20.6.2001 के द्वारा करों आदि की षत प्रतिषत वसूली को सुनिष्चित करने के लिए दिषा निर्देष दिए गए थे। बकाया राषि को वसूल करने बारे भरस्क प्रयत्न किए जाएं। उक्त वसूली योग्य कुल राषि में से ₹249411/–केवल 11 दुकानदारों से प्राप्त करना षेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Ø0l0	nqdkunkj dk uke	nqdku la[;k	31-3-2012 dks 'ks"k jkf'k
1	श्री विवके षर्मा सुपुत्र श्री षाम लाल	2	28273
2	श्री राजिन्द्र कुमार सुपुत्र श्री उत्तम चन्द	3	24545
3	श्रीमति मीना खान पत्नी श्री पाली खान	19	24265
4	H.R.T.C	28	32041
5	श्री दुनी चन्द सुपुत्र श्री नन्द लाल	35	21426
6	श्री दुनिया राम सुपुत्र श्री रेलू राम	36	26365
7	श्री अर्जुन सिंह सुपुत्र श्री नथु राम	37	25250
8	श्री हंस राज सुपुत्र श्री उधम सिंह	39	20411
9	श्री विवके षर्मा सुपुत्र श्री षाम लाल	42	16500
10	श्री चमन लाल	46	16025
11	श्री परमजीत सिंह	48	14310
		dqy ;ksx	249411

अतः समस्त बकाया किराये की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

¼6½ nqdku dk fdjk, ₹4235@&dh de olwyh%&

दुकान संख्या 43 के अनुबन्ध प्रपत्र की जांच करने पर लेखा परीक्षा में पाया कि उपरोक्त दुकान दिनांक 15.6.2004 को श्री कपिल कुमार सुपुत्र श्री परषोतम लाल को इस षर्त पर किराए पर दी गई थी कि किराएदार से प्रतिवर्ष ₹6000/–किराया निर्धारित किया गया था एवं अनुबन्ध की तिथि के 11 माह पश्चात से किराए में प्रतिवर्ष 2.5% की बढ़ौतरी की जानी अपेक्षित थी लेकिन वर्ष 2011–12 के Rent Demand & Collection Register के पृष्ठ संख्या 61 की जांच करने पर पाया कि उपरोक्त किराएदार से ₹6000/–वार्षिक किराए के रूप में वसूला जा रहा है अर्थात अनुबन्ध की षर्त के अनुसार प्रतिवर्ष 2.5% की बढ़ौतरी के साथ किराया नहीं वसूला गया और न ही इसकी मांग नगर पंचायत द्वारा उठाई जा रही है। अर्थात नगर पंचायत द्वारा ₹4235/–की कम वसूली की गई। अतः दिनांक 01.06.2005 से अनुबन्ध की षर्तों के अनुसार किराया वसूला जाना सुनिष्चित करें विस्तृत विवरण नीचे दर्षाया गया है।

vof/k	fdjk;k dh olwyh ;kX; jkf'k	olwyh xbZ jkf'k	de olwyh jkf'k
01.06.05 से 31.5.06 तक	6000+3.5%=6150	6000	150
01.06.06 से 31.5.07 तक	6150+2.5=6304	6000	304
01.06.07 से 31.5.08 तक	6304+2.5%=6462	6000	462
01.06.08 से 31.5.08 तक	6462+2.5%=6624	6000	624
01.06.09 से 31.5.10 तक	6624+2.5%=6790	6000	790
01.06.10 से 31.5.11 तक	6790+2.5%=6960	6000	960
01.06.11 से 31.5.12 तक (10 माह)	6960+2.5%=7134	6000	945
	dqy de olwyh jkf'k		4235

¼7½ rg&ctkjh d :i e ikIr ₹240@&uxj ipk;r d [kkr e tek u dju ckj&

चयनित माह 06/2011 में तैह बाजारी से आय की जांच करने पर पाया गया कि तैह बजारी रजिस्टर पृष्ठ संख्या 65 पर दिनांक 06.06.2011 को रसीद संख्या 31/3 से 41/3 द्वारा ₹420/–प्राप्त किए गये थे जबकि रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 52 पर दिनांक 06.06.1 को केवल ₹180/–जमा करवाये दर्षाये गये अर्थात ₹240/–पंचायत के खाते में कम जमा हुए जो कि अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत के सचिव द्वारा दोषी व्यक्ति से वसूल कर रसीद संख्या जी–8–5/171 दिनांक 21.9.2012 को नगर पंचायत के खाते में जमा करवा दिए एवं इसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि पर रोक लगाई जाए।

¼8½ c/k xg dh Qhl dh c<krjh ckj&

बध गृह (Slaughter house) रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि पिछले कई वर्षों से नगर पंचायत द्वारा वध गृह का षुल्क मात्र ₹200/–प्रतिमाह वसूल की जा रही है। यह बहुत कम प्रतीत होती है। अतः नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति मे सुधार हेतु वध गृह का षुल्क नियमानुसार समय–समय में बृद्धि की जानी चाहिए, षुल्क में वृद्धि न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

¼9½ हिमाचल प्रदेष बिजली बोर्ड से नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 66 (1) (viii) के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में बिजली की खपत प्रति यूनिट के बदले 1 पैसा प्रति यूनिट की रकम वसूल की जानी अपेक्षित है जिसे नगर पंचायत द्वारा कई वर्षों से वसूल नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण प्रतिवर्ष नगर पंचायत को वित्तीय हानि हो रही है। अतः षीध्र बिजली बोर्ड से इस बकाया राषि की सही गणना करके वसूली करने हेतु आवष्यक कार्यवाही की जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करें।

¼10½ ekckby dEifu;k l ₹45000@&dh jkf'k olyh ;kX; 'k"k&

मोबाईल टावर से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों की जांच करने पर पाया कि विभिन्न मोबाईल कम्पनियों से दिनांक 31.3.2012 तक ₹45000/–की राषि वसूली योग्य षेष है जिसमें से ₹30000/–ऐयरटेल कम्पनी से वर्ष 2007–08 से दिनांक 31.3.2012 तक बकाया है विस्तृत

विवरण परिषिष्ट "ङ" में दिया गया है। बकाया राषि को ब्याज सहित वसूल करने पर भरस्क प्रयत्न किए जाएं।

9 0;;%&

¼1½ Hkqxrku dh okLrfod jlhn izkIr u djus ckjs%&

च्यनित माह के वाउचर संख्या 2 माह जनवरी 2012 की जांच उपरान्त यह पाया कि निम्न भुगतान के विरूद्ध वास्तविक रसीद प्राप्त नहीं की गई थी जिसके अभाव में इस भुगतान की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः अब अपेक्षित वास्तविक रसीद प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करें।

fcy l0	ok0 l0	[kjhnh lkexh dk C;kjk	jkf'k
52 30.12.2011 M/S Mahajan Electrical stone, Chowari	Vr.No.02 Jan. 2012	3 Nos ceiling @ 1625¾4875 1 NOS ceiling @1625 Vat @13-75%	7393

¼2½ ₹70261@&dh de lkexh dh izfof"V;k MAS jftLVj esa u djus ckjs%&

चयनित माह के विभिन्न वाउचरों की जांच करने पर पाया कि निर्माण कार्य हेतु विभिन्न सामग्री विभिन्न ठेकेदारों से क्रय की गई लेकिन इस सामग्री की प्रविष्टियां MAS रजिस्टर में नहीं की गई और न ही इस सामग्री का निर्गमन एवं प्रयोग जिस निर्माण कार्य के लिए किया गया दर्षाया गया। यह गम्भीर अनियमितता है। अतः इन सामग्री की प्रविष्टियां एम0ए0एस0 रजिस्टर में की जाये व जिस कार्य हेतु सामग्री का प्रयोग किया गया, बताया जाना सुनिष्चित करें अन्यथा राषि की दोषी व्यकित वसूली करके नगर पंचायत के खाते में जमा किया जाए।

ok0 l0	Bsdsnkj dk uke	Lkkexh dk uke	lkexh dh ek=k	dqy jkf'k
12 Jan-12	श्री वरूण गुप्ता चुवाड़ी	Stone 20MM& 40 MM Thick	11-08 CUM @990=10969-927	10042
13 Jan-12	श्री वरूण गुप्ता चुवाड़ी	Sand Crusher	21.50CUM@900= 19350-1351	17999
14 Jan-12	श्री वरूण गुप्ता चुवाड़ी	Undressed Stone	41.42CUM @1100=45892-3672	42220

dqy ;kx	70261

¼3½ okgu dh ₹167000@&dk vfu;fer 0;;%&

वाऊचर संख्या 6 दिनांक 12.9.2011 की जांच करने पर लेखा परीक्षा में पाया कि मैसर्ज पालम ट्रेडर्ज मारण्डा (हि0प्र0) से बिल संख्या 026 दिनांक 9.9.11 के तहत ₹167000/–का भुगतान तीन पहिया वाहन Ape Cargo D600 खरीद के लिए किया गया लेकिन इस खरीद हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिए बिना की गई इस अनाधिकृत खरीद बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम अधकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए। इसके अतिरिक्त भुगतान की गई राषि से सम्बन्धित वास्तविक भुगतान रसीद भी प्राप्त नहीं की गई है। अतः इसे भी प्राप्त करना सुनिष्चित करें।

¼4½ ₹46440@&vf/kd 0;; dh l{ke vf/kdkjh ls Lohdfr u ysus ,oa /kjkgj jkf'k dh olwyh u djus ckjs%&

वाऊचर संख्या 15 दिनांक जनवरी 2012 की जांच करने पर पाया कि श्री चन्द्र प्रकाष को ₹78724/–भुगतान किया जिसका ब्यौरा इस प्रकार हैः–

कार्य का नाम	P/Supplying iron Creating in for drains	
ठेकेदार का नाम	श्री चन्द्र प्रकाष	
भुगतान राषि	1188 Kg @ 67.50	80190
	वसूली	(–)1466
		78724

निविदाओं की जांच करने पर पाया कि उपरोक्त कार्य के लिए 500 किलोग्राम Iron Creating in for Drains हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई थी व तदानुसार ही Estimate तैयार किया गया था जबकि वास्तव में 1188 KG iron Creating in drains प्रयोग एवं भुगतान किया गया जोकि Award मूल्य से 137.60% अधिक थी। लेकिन इस अधिक भुगतान की गई राषि ₹46440/–अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई। अतः अब सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त कार्य के लिए संविदाकार से धरोहर राषि के रूप में ₹8019/—की वसूली की जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गई। अतः ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में प्रत्येक कार्य बिल से धरोहर राषि की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

<u>¼5½ fuek.k dk;! dh U;k; lxr njk ¼**Justified Rates**½ dk fu/kkj.k u djuk%&</u>

वाऊचर संख्या 19 दिनांक 24.01.2012 की जांच करने पर पाया कि कार्य के लिए निविदाएं आमन्त्रित करने से पूर्व इसकी दरों की Justification तैयार नहीं की गई जिस कारण से कार्य को Award करते समय यह पता लगाना मुष्किल था कि कार्य को उचित दरों में करवाया गया या नही। इससे यह प्रतीत होता है कि ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान करने हेतु कार्य को अत्यधिक दरों पर Award किया गया प्रतीत होता है जिस के कारण नगर पंचायत को हानि उठानी पड़ी दरों का Justification तैयार न करने बारे अंकेक्षण पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए Rate Justification तैयार करना सुनिष्चित करें ताकि निर्माण कार्य उचित दरो ंपर सम्पन्न किए जा सके। कार्य का पूर्ण विवरण परिषिष्ट "च" में दिया गया है।

कार्य का नाम	C/O Retaining Wall & path from Anganbadi School to Ramesh House Ward No. 04	
ठेकेदार का नाम	श्री राजेष बलोरिया	
भुगतान राषि	181786	
Award राषि	173140	(14.43 % above HPSR 2009)

इसके अतिरिक्त उपरोक्त कार्य की Deviation Statement भी तैयार नहीं की गई और न ही इस अतिरिक्त भुगतान की गई राषि ₹8646/—की सक्षम अधिकारी स्वीकृति प्राप्त की गई। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

10 <u>dkykrhr /kjkgj jkf'k ¼**Lapsid Security Deposit**½ ₹52379@&dk uxj ipk;r dh vk; d : i e ifof"V dju ckj%&</u>

धरोहर राषि एवं Earnest money के रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत के पास विभिन्न कार्यो की धरोहर राषि एवं Earnest money के रूप में

₹52379/–(धरोहर राषि=26217+Earnest money=26162) भुगतान हेतु षेष है जिनका निर्माण कार्य लगभग 3 वर्ष से 9 वर्ष पूर्व सम्पन्न हो चुका है। अतः यह राषि अब CPWD Work Manual के नियम 21.7 के अनुसार लौटाने योग्य नहीं है। नियमानुसार किसी कार्य को पूरा करने के 3 वर्ष के भीतर यदि ठेकेदार द्वारा धरोहर राषि को वापस लेने का दावा प्रस्तुत नहीं करता है तो इस राषि को Lapsed Security Deposit मानकर उस संस्था की आय मान ली जाती है। अतः इस राषि को नगर पंचायत की आय में लिया जाना सुनिष्चित किया जाए। पूर्ण ब्यौरा परिषिष्ट छ (i) व (ii) में दिया गया है।

11 LFkkiuk&

Iknk dh Lohdfr d fcuk nfud oru Hkkfx;k dh fu;fDr djuk&

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि निम्नलिखित दैनिक वेतन भोगी मस्टरोल पर रखे गये थे। यद्यपि निदेषक, षहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच0(ए0)(4)–2/95 दिनांक 27.3.2002 के द्वारा जारी निर्देषों में नये दैनिक वेतन भोगी/अंषकालीन नियुक्ति को प्रतिबन्धित किया गया था, तथापि नये वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाएं नगर पंचायत द्वारा ली जा रही है तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सचिव नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दैनिक भोगी जिन पदो के विरूद्ध कार्य कर रहे है वे पद नगर पंचायत में स्वीकृत नहीं है। अतः पदों को स्वीकृत करवाए बिना दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। दैनिक वेतन भोगियों को विस्तृत विवरण नीचे दर्षाया गया है।

Ø0 l0	depkjh dk uke	in	fu;fDr dh fnukd
1	श्री नरेन्द्र सिंह	चलक	दिसम्बर, 2002
2	श्री मान सिंह	बेलदार	जनवरी, 2002
3	श्री कुलदीप कुमार	चौकीदार	जनवरी, 2005
4	श्री राज दीन	मिस्त्री	फरवरी, 2009
5	श्री देष राज	बेलदार	फरवरी, 2009
6	श्री हंरवंष लाल	बेलदार	फरवरी, 2009
7	श्री मदन लाल	बेलदार	फरवरी, 2009
8	श्री राजेष कुमार	बेलदार	फरवरी, 2009
9	श्री पूरन चन्द	बेलदार	फरवरी, 2009

10	श्री भवानी	बेलदार	18.9.2011

नगर पंचायत में नियुक्त नियमित कर्मचारियों व दैनिक वेतन भोगियों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट "ज" पर दिया गया है।

12 Hk.Mkj%&

¼1½ LFkk;h lkexzh dh ifof"V;ksa Hk.Mkj.k jftLVj esa v0;ofLFkr rjhds ls djus ckjs%&

स्थायी भण्डारण रजिस्टर की जांच करने पर पाया कि इस रजिस्टर में नगर पंचायत की सभी स्थायी सामग्री को अव्यवस्थित तरीके से एक की पृष्ठ में प्रविष्ट कर दिया है अर्थात अलग–2 प्रकृति की सामग्री को अलग–2 पृष्ठ में न दिखाकर एक ही पृष्ठ में प्रविष्टि कर दी जाती है जो कि HPFR के नियम 15.10 के विरूद्ध है। उदाहरण स्वरूप वाऊचर संख्या 26 दिनांक 30.01.2012 द्वारा बिल संख्या 9953 दिनांक 30.01.12 मैसर्ज आर0के0 स्टील इण्डस्ट्रीज चम्बा से 10 Garbage conainer ₹199062/–के खरीदे गये जिनकी प्रविष्टियां स्थायी सामग्री भडारण रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 152–153 खण्ड–3 में की गई एंव इसी पृष्ठ पर अन्य Dustbin जो कि अलग–2 Specification एवं अलग–2 मूल्य के थे को भी प्रविष्ट किया गया था लेकिन कुल सामग्री के स्थान को खाली रखा गया था जिससे यह पता नहीं लगाया जा सका कि नगर पंचायत के पास वास्तव मे ंकुल कितने Garbage Container उपलब्ध है। अतः HPFR के नियम 15.10 के अनुसार अलग–2 प्रकृति की सामग्री की अलग–2 पृष्ठ में प्रविष्टि किया जाना सुनिष्चित करें। ताकि समय समय पर स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन से एक नजर पता लगाया जा सके की स्टॉक में कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में षेष है।

¼2½ iR;{k lR;kiu u djokus ckjs%&

अंकेक्षण के दौरान पाया कि नगर पंचायत के भण्डारण रजिस्टर में दर्षाई गई सामग्री का सक्षम अधकारी द्वारा प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया था यह एक गम्भीर अनियमितता है। जबकि हिमाचल प्रदेष वित नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत स्टोर एवं स्टॉक के सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः नियमानुसार स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं अविलम्ब स्टॉक का भौतिक

सत्यापन कम से कम वार्षिक आधार पर सुनिष्चित की जाए उसके परिणामो से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼3½ Hk.Mkj jftLVj e: ₹270@&dh lkexh de n'kkZuk%&

सैनिटरी भण्डार रजिस्टर खण्ड–3 की जांच करने पर पाया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न सामग्री की बकाया मात्रा भण्डार रजिस्टर में कम दिखाई गई है जिस कारण नगर पंचायत को ₹270/–की हानि उठानी पड़ी। अतः इस राषि को दोषी कर्मचारी से वसूल करके नगर पंचायत के खाते में जमा करवाना सुनिष्चित करें। कम दिखाई गई सामग्री का ब्यौरा इस प्राकर से है:–

Ø0 l0	fnukd	Lkexh uke	dk i0 l0	fn[kkbZ xbZ lkexh dh ek=k	okLrfod ek=k	de ek=k	eY;
1	11.4.2011	Acid	71	30 नं0	34 नं0	4 नं0	160
2	18.2.2012	Acid	71	49 नं0	50 नं0	1 नं0	40
3	10.5.2011	Phenyle	91	104 ली0	106 ली0	2 ली0	70
					dqy jkf'k		270

13 y/kq vkifŸk fooj.kh%& इसे अलग से जारी नहीं की गई।

14 fu"d"kZ%&

लेखाओं में अधिक सुधार की आवष्यकता है। अतः अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैराग्राफस निपटाने व भण्डारण रजिस्टर के ठीक रख रखाव की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15) V 77/83 दिनांक, षिमला–171009.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

ijhdr 1- सचिव, नगर पंचायत चुवाड़ी, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अंकेक्षण की प्राप्ति के एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

2. निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला–2.

3 वरिष्ठ–उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हि0प्र0 षिमला–171003

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

ifjf’k"V ^>**

¼d½ <u>vid{k.k ifrosnu vof/k 4@90 ls 3@96</u>

1	पैरा– 6 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा– 8	अनिर्णीत

¼[k½ <u>vid{k.k ifrosnu vof/k 4@96 ls 3@2005</u>

1	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत	
2	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत	
3	पैरा–7 (3)	अनिर्णीत	
4	पैरा–7 (4)	अनिर्णीत	
5	पैरा–9 (i)	अनिर्णीत	
6	पैरा–9 (ii)	अनिर्णीत	
7	पैरा–9 (iii)	अनिर्णीत	
8	पैरा–10	अनिर्णीत	
9	पैरा–11	निर्णीत	Norad स्कीम की Permanent Stock Register के पृष्ठ संख्या 4 में Bill No. 97–98/346 दिनांक 29.12.97 1½X1½=15 नं0 राषि=19440/– एवं बिल नं0 97–98/345 दिनांक 29.12.97 1½X1½के 5 नं0 राषि ₹6480/–के Dustbins की प्रविष्टि दर्ज है। अतः प्रविष्टि की जांच के उपरान्त पैरे का निपटार कर दिया गया।
10	पैरा–12	अनिर्णीत	
11	पैरा–13	निर्णीत	षेष वसूली योग्य ₹300/–की वसूली इस प्रकार की गईः–

			₹500 / –की वसूली जी–8 संख्या 16 / 71 दिनांक 26.9.12, ₹100 / –की वसूली जी–8 संख्या 17 / 171 दिनांक 26.9.12, ₹200 / –की वसूली जी–8 संख्या 18 / 71 दिनांक 27.9.12 द्वारा कर दी गई। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
12	पैरा–14	अनिर्णीत	
13	पैरा–15	अनिर्णीत	
14	पैरा–16	अनिर्णीत	
15	पैरा–17	अनिर्णीत	
16	पैरा–18	अनिर्णीत	
17	पैरा–19	अनिर्णीत	
18	पैरा–21	अनिर्णीत	
19	पैरा–22	अनिर्णीत	
20	पैरा–23	अनिर्णीत	
21	पैरा–24	अनिर्णीत	
22	पैरा–25	अनिर्णीत	
23	पैरा–26	अनिर्णीत	
24	पैरा–27	अनिर्णीत	
25	पैरा–28 (1)	अनिर्णीत	
26	पैरा–28 (2)	अनिर्णीत	
27	पैरा–28 (3)	अनिर्णीत	
28	पैरा–28 (4)	अनिर्णीत	
29	पैरा–29 (1)	अनिर्णीत	
30	पैरा–29 (2)	अनिर्णीत	
31	पैरा–29 (3)	अनिर्णीत	
32	पैरा–29 (4)	अनिर्णीत	
33	पैरा–30	अनिर्णीत	
34	पैरा–32 (1)	अनिर्णीत	
35	पैरा–32 (2)	अनिर्णीत	

36	पैरा–32 (3)	अनिर्णीत	
37	पैरा–33	अनिर्णीत	
38	पैरा–34	अनिर्णीत	

¼x½ vd{k.k ifronu vof/k 4@2005 l 3@2007

1	पैरा–4 (iii)	अनिर्णीत	
2	पैरा–4 (iv)	अनिर्णीत	
3	पैरा–4 (ix)	अनिर्णीत	
4	पैरा–4 (x)	अनिर्णीत	
5	पैरा–5 (i)	अनिर्णीत	
6	पैरा–5 (ii)	निर्णीत	पैरे की वास्तविक स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2011 के पैरा संख्या 8 (i) में समाविष्ट है
7	पैरा–6 (i)	अनिर्णीत	
8	पैरा–6 (viii)	अनिर्णीत	
9	पैरा–7 (1) (क)	अनिर्णीत	
10	पैरा–7 (iii)	अनिर्णीत	
11	पैरा–7 (iv)	अनिर्णीत	
12	पैरा–10	अनिर्णीत	

¼?k½ vd{k.k ifronu vof/k 4@2007 l 3@2011

1	पैरा–3	निर्णीत	अंकेक्षण षुल्क की राषि ₹18000/–ड्राफ्ट संख्या 043641 दिनांक 15.9.2011 को पत्र संख्या 876 दिनांक 24.9.11 द्वारा निदेषक स्थानीय लेखा विभाग को प्रेषित कर दी है।
2	पैरा–4 (1)	निर्णीत	वितीय हानि एवं बैंक समाधान विवरण सूचनार्थ पैरा
3	पैरा–4 (2)	निर्णीत	रोकड़ वही की प्रविष्टियां सचिव नगर पंचायत द्वारा सत्यापित कर दी है एवं अब सुचारू रूप से सत्यापित की जा रही है। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।

4	पैरा–4 (3)	निर्णीत	रदद की गई जी–8 रसीदों को सचिव, नगर पंचायत द्वारा सत्यापित कर दिया गया है। अतः पैरे का निपटारा कर दिया
5	पैरा–5 (1)	निर्णीत	निवेश का सूचनार्थ पैरा
6	पैरा–5 (2)	निर्णीत	अंकेक्षण के सुझावानुसार निवेष रजिस्टर लगा लिया गया है। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
7	पैरा–6	अनिर्णीत	
8	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत	
9	पैरा–7 (2)	निर्णीत	गृह कर के बकाया राषि की वास्तविक स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012 के पैरा संख्या 8 (2) (3) में समाविष्ट है।
10	पैरा–7 (3)	निर्णीत	गृह कर की बकाया राषि ₹929/–को वर्ष 2011–12 के दौरान अग्रेषित कर दिया गया है। अतः पुष्टि के पश्चात पैरे का निपटारा कर दिया।
11	पैरा–7 (4)	अनिर्णीत	
12	पैरा–7 (5)	अनिर्णीत	
13	पैरा–7 (6)	निर्णीत	दुकानों के किराए की बकाया राषि की वास्तविक स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2012 के पैरा संख्या 8 (5) में समाविष्ट है।
14	पैरा–7 (7)	अनिर्णीत	
15	पैरा–8 (1)	निर्णीत	पैरे की वास्तविक स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2012 के पैरा संख्या 11 में समाविष्ट है।
16	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत	
17	पैरा–8 (3)	निर्णीत	अंकेक्षण के दौरान अर्जित अवकाष का षेष ठीक करवा दिया गया था।
18	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत	
19	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत	
20	पैरा–9 (3)	अनिर्णीत	
21	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत	

22	पैरा–10 (2)	निर्णीत	रसीद संख्या जी–8 11/171 दिनांक 24.9.12 द्वारा ₹748/–की राषि वसूल करके नगर पंचायत के खाते में जमा कर दिये गये है। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
23	पैरा–10 (3)	निर्णीत	सचिव, नगर पंचायत द्वारा दिए गए सटिप्पण उत्तर एवं Justfication के आधार पर पैरे का निपटारा कर दिया गया।
24	पैरा–10 (4)	अनिर्णीत	
25	पैरा–10 (5)	अनिर्णीत	
26	पैरा–10 (6)	अनिर्णीत	
27	पैरा–10 (7)	निर्णीत	कालातीत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे ₹227/–की राषि रसीद संख्या जी–8 31/163 दिनांक 9.5.12 द्वारा वसूल करके नगर पंचायत के खाते में जमा कर दिये गये है। अतः पैरे का निपटारा कर दिया।
28	पैरा–10 (8)	अनिर्णीत	
29	पैरा–10 (9)	अनिर्णीत	
30	पैरा–11 (1)	अनिर्णीत	
31	पैरा–11 (2)	अनिर्णीत	
32	पैरा–11 (3)	अनिर्णीत	
33	पैरा–11 (4)	अनिर्णीत	
34	पैरा–11 (5)	निर्णीत	₹134/–की राषि रसीद संख्या जी–8 12/171 दिनांक 24.9.12 द्वारा वसूल करके नगर पंचायत के खाते में जमा कर दिए गये है।
35	पैरा–11 (6)	अनिर्णीत	
36	पैरा–11 (7)	अनिर्णीत	
37	पैरा–11 (8)	अनिर्णीत	
38	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत	
39	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत	